पत्र संख्या : 7ब/4701 यो०ज०सं०–03/2014 302

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/हजारीबाग;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/ उप निदेशक (वै॰)गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी; जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 25-3-15

विषय :– मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–66–नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन की मरम्मति विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43 अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री), विपत्र कोड 49P470180789660543 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014–2015 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग/ 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80–सामान्य	789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना/ 66– नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन की मरम्मति	05–निर्माण, 43 अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) 49P470180789660543	**188.21**

अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ एक करोड़ अठासी लाख एकीस हजार मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष 2014–15 के संशोधित बजट उपबंध तथा वित्त विभाग के पत्रांक–213/बजट, दिनांक–09.03.2015 द्वारा तृतीय अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त राशि यथा कुल राशि **रू॰ 900.00 लाख (नौ करोड)** मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत परिशिष्ट–1 के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2015** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : **आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।**

अनुलग्नक–यथोक्त्।

Sukhdev Singh 24/3
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 302 रॉची, दिनांक :– 25-3-15

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा/हजारीबाग/तेनुघाट/बोकारो/चाईबासा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

Sukhdev Singh 24/3
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 302 रॉची, दिनांक :– 25-3-15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(श्वेता कुमारी)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	Sukhdev Singh 24/3 **(सुखदेव सिंह)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	**प्रधान सचिव**

विभागीय पत्रांक 302 दिनांक 25-3-15 का अनुलग्नक परिशिष्ट–1

मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष–4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,
लघु शीर्ष –789–अनूसचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
उप शीर्ष –66–नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन की मरम्मति
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43 अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) 49P470180789660543

वित्तीय वर्ष 2014–15 में संशोधित बजट उपबंध 900.00 लाख (नौ करोड) रूपये मात्र। (राशि लाख रू॰ में)

क्र॰	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासिनक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासिनक स्वीकृति का राशि	मार्च 2014 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2014–15 में आबंटित राशि पूर्व का आबंटन	वर्त्तमान आबंटन	कुल आबंटन	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट (BKRIRR002)	हजारीबाग	भवनों का संधारण एवं नये भवनों का निर्माण कार्य।	49 / 13–14 प्र०स्वी० दिनांक– 28.11.2013	43.29000	25.00000	18.29	2.44	20.73	**118820**	तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट के अतिथि भवन का मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य
						योग	**18.29**	**2.44**	**20.73**		
2	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा (SGHIRR008)	राँची	भवनों का संधारण एवं नये भवनों का निर्माण कार्य।	35 / 12–13 प्र०स्वी० दिनांक– 27.02.2013	0.97550	20.00000	64.29	-11.79	52.50	**51879**	चाईबासा अवस्थित अधीक्षण अभियंता जल पथ अंचल चाईबासा के आवास का मरम्मति कार्य
					13.17200						जल पथ अंचल चाईबासा के अंचल कार्यालय भू–अर्जन कार्यालय, राजस्व कार्यालय, सी टाइप क्वार्टस के गैरेज का मरम्मति कार्य।
					1.16900						जल पथ शिविर चाईबासा के जलापूर्ति व्यवस्था के पाईप लाइन का मारम्मति कार्य
					8.12600						जल पथ शिविर चाईबासा के सैप्टिक टैंक का मरम्मति कार्य
					16.88110						जल पथ शिविर चाईबासा के अंतर्गत निर्मित पी०सी०सी० पथ का मरम्मति कार्य
					36.56700						जल पथ शिविर चाईबासा के विभिन्न प्रकार के आवासों का मरम्मति कार्य
					18.89370						जल पथ प्रमण्डल चाईबासा के चाहरदीवारी ग्रिल गेट तथा कँटीलेतार कील मरम्मति कार्य
						योग	**64.29**	**-11.79**	**52.50**		
3	गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची (DRNMID007)	राँची	अधीक्षण अभियंता, रूपाकंण, आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, डोरण्डा राँची के कार्यालय परिसर में (बेसमेंट + ग्राउड फ्लोर + चारतल्ला) कार्यालय भवन का निर्माण	03 / 13–14 प्र०स्वी० दिनांक– 04.05.2013	965.260	178.079	487.20	11.79	684.76	**118817**	रूपाकंण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, डोरण्डा राँची के कार्यालय परिसर में B+G+4 कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।
								185.77		**118818**	
						कुल योग	**487.20**	**197.56**	**684.76**		
						कुल आवंटन	**569.78**	**188.21**	**757.99**		

अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ एक करोड अठासी लाख एकीस हजार मात्र।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव(अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव